तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
·5.19	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1, 2 को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट पेश हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थिया ने मौका रिपोर्ट पर बहस करनी चाही। वकील प्रार्थिया की बहस सुनी गई। वास्ते पत्रावली मे आदेश हेतु नियत दिनांक 14.6.19 को पेश हो।।	
14.6.19	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित. वकील प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A के तहत अपनी खातेदारी आराजी नं. 1566, 1567, 1568, 1566/5, 1567/5, 1568/5, 1562, 1563, 1565, 1562/4, 1563/5, 1565/5 कुल किता 12 रकबा .8100 हैक्टर भूमि जो ग्राम जिन्द्रास पटवार हल्का जिन्द्रास तहसील मांडल मे स्थित है उक्त भूमि मे आने-जाने हेतु रास्ता चाहता है। मौके पर बिलानाम काबिल काश्त आ०नं. 1559 रकबा 0.75 हेक्टयर किस्म बंजड़ की पश्चिमी मेड़ के सहारे - सहारे होकर व आगे आ० नं. 1560/1742 की उत्तरी मेड़ के सहारे-सहारे नियमानुसार रास्ता दर्ज करवाना चाहती है। रास्ता करीब 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम करने की ईस्तदुआ की। :: आदेश :: वकील प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र एव तहसीलदार मांडल की मौका रिपोर्ट तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो पर अहयवन कर मनन किया गया। प्रार्थिया की भूमि ग्राम जिन्द्रास पटवार हल्का जिन्द्रास तहसील	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नं. 1566, 1567, 1568, 1566/5, 1567/5, 1568/5, 1562, 1563, 1565, 1562/4, 1563/5, 1565/5 कुल किता 12 रकबा .810 हेक्टर भूमि पर आने जाने हेतु कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है। उपरोक्त भूमि मे आने जाने हेतु आ-नं. 1560/1742 मे रकबा 0.10 हेक्टेयर व आ-नं. 1559 मे रकबा 0.75 हेक्टेयर भूमि खिलानाम काबिल काश्त मे से आराजी नं. 1559 रकबा 0.75 हेक्टर मे से 0.08 हेक्टर भूमि पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे एव आराजी नं. 1560/1742 मे ~~रकबा~~ 0.10 हेक्टर मे से 0.02 हेक्टर की उत्तरी मेड के सहारे-सहारे करीब 20 फीट चौड़ा रास्ता (कुल 0.10 हेक्टर) दिया जावे का आदेश दिया जाता है। 20 फीट रास्ते के काम मे आनेवाली भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात कर आने वाली भूमि की D.L.C. की दर से डबल गणना करते हुए प्रार्थीया से राशि जरिये D.D. या नकद प्राप्त करे। प्राप्त होने वाली राशि रास्ते हेतु आने वाली भूमि का भुगतान राजकोष मे जमा करे। भुगतान होने पर रास्ते मे आने वाली भूमि को खाते मे से कम की जावे। और भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार मांडल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	